

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चेन्नै का कार्यालय,
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै – 600 018
स.मनिलेप(के)/दावा-II/ IV/2020-21/01

दिनांक : 08.04.2021

परिपत्र-01

1. बाल शिक्षा भत्ता पहले के दो जीवित बच्चों के लिए किए गए खर्च के लिए 2250/- रुपये प्रति माह प्रति बच्चे के लिए स्वीकार्य है। भत्ते में ट्यूशन फीस, प्रवेश फीस आदि शामिल हैं। साथ ही छात्रावास सब्सिडी प्रति माह 6750/- रुपये या वास्तविक खर्च जो भी कम हो, स्वीकार्य है। दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता सामान्य दरों से दोगुना, यानी 4500/- रुपये प्रति माह (निश्चित) स्वीकार्य है।

2. पदधारी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए बाल शिक्षा भत्ते के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पत्र मूल वास्तविक प्रमाणपत्र के साथ केवल हार्ड कॉपी के रूप में स्पष्ट रूप से छात्र के नाम, अध्ययन का वर्ष, कक्षा, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, संबंधन (Affiliation) पंजीकरण सर्व्या/कोड एवं पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो रिपोर्ट कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति या स्व-सत्यापित फीस रसीद(ई) (ई-रसीद (ओ) सहित) इस बात की पुष्टि करते हुए संकेत देते हुए कि पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए जमा की गई फीस बाल शिक्षा भत्ते का दावा करने के लिए सहायक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। अवधि / वर्ष का मतलब है शैक्षणिक वर्ष यानी पूरे शैक्षणिक सत्र के बारह महीने।

3. छात्रावास सब्सिडी के लिए, संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा, अतिरिक्त आवश्यकता के साथ प्रमाण पत्र में सरकारी कर्मचारी द्वारा स्कूल के आवासीय संकुल में आवास और भोजन के लिए खर्च की गई राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो रिपोर्ट कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और मूल फी रसीद (ई) / ई-रसीद (ओ) जिन्हें सरकारी कर्मचारी द्वारा आवासीय संकुल में आवास और भोजन के लिए खर्च की गई राशि को दर्शाना चाहिए, छात्रावास सब्सिडी का दावा करने के लिए प्रस्तुत की जा सकती है।

4. नर्सरी, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर किसी शिक्षा बोर्ड से संबंध नहीं है, ऐसे विद्यालय/संस्थानों के संबंध में, योजना के तहत प्रतिपूर्ति हेतु मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में, मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्थान का अर्थ एक सरकारी विद्यालय या कोई शैक्षणिक संस्थान जो सरकारी सहायता प्राप्त करता हो अथवा ना हो, केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या जहा संस्थान/विद्यालय स्थित है उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्राधिकरण के विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

5. प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं आवेदन फॉर्म का प्रपत्र परिपत्र के साथ संलग्न है। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(उपनिदेशक/प्रशा के दिनांक 07/04/2021 के आदेशानुसार)

लक्ष्मी श्रावक 2

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/दावा

प्रति

सभी अनुभाग

सूचना पट्ट

वलेपअ / हिंदी सेल (हिंदी अनुवाद हेतु)

वलेपअ / ईडीपी- कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए और एसएमएस भेजने हेतु : शैक्षणिक वर्ष एसएमएस – शैक्षणिक वर्ष 2020-21 लिए के बाल शिक्षा भत्ता के संबंध में कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड किए गए दिनांक 08.04.2021 के परिपत्र स.01 का संदर्भ लें।